न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 174/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती मीरा पत्नी हकीम खां पुत्री दीनूखां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम कोसाणा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1– मजीद गोद पुत्र सदीक खां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम साथीन तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर 2– सईदा पुत्री सदीकखां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम साथीन हाल निवासी ग्राम रियां तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 3– मेहमूद पुत्र नसरूदीन 4– अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल सत्तार 5– गफार पुत्र अब्दुल सत्तार 6– रफीक पुत्र अब्दुल सत्तार 7– शकूर पुत्र हकीम 8– शाकीर पुत्र हकीम 9– नूर मोंहम्मद पुत्र हकीम 10–अयुब पुत्र हकीम 11–युसुफ पुत्र हकीम सभी जातियान तेली मुसलमान निवासीगण ग्राम साथीन तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 12–ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सेलो की ढाणी, वार्ड संख्या 3 पीपाडशहर जोधपुर 13– सरपंच ग्राम पंचायत साथीन तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 14'–भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–4–2017 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मो0 साबीर अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2,3 व 12 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 5–1–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम साथीन तहसील भोपालगढ के खसरा नंबर 1291, 1669 एवं 1737 की कुल 34 बीघा 18 बिस्वा भूमि खातेदार दीनूखां पुत्र चांदखां कौम तेली सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार दीनूखां

के फौत होने पर उक्त भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 1220 उसके पुत्र सदीकखां पुत्र दीनेखां के नाम सरपंच ग्राम पंचायत साथीन द्वारा दिनांक 21–12–88 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष अपीलार्थियां मीरा पत्नी हकीमखां पुत्री दीनुखां ने प्रथम अपील इस आशय की पेश की कि वह भी मृतक खातेदार दीनूखां की जायंदा पुत्री होने से उक्त अपीलाधीन भूमि मे उसका भी 1/2 हिस्सा होने से उक्त नामांतरकरण संख्या 1220 मे उसका नाम दर्ज किये बिना स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2017 के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच नियमित वाद लंबित होने से उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज कर दिया जाने पर अपीलार्थियां ने उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रेकर्ड के विपरीत तथा नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थियां स्व0 दीनूखां की पुत्री है तथा अपीलार्थियां का नाम अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 1220 मे दर्ज नही किया जाने पर अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 1220 मौजुद था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि जबकि म्युटेशन की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत किसी के खातेदारी के अधिकारो को समाप्त नही किया जा सकता है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने का क्या कारण रहा, पूरे निर्णय मे कोई अंकन नही किया केवल अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने का यह कारण अंकित किया कि अपीलांट का मूल वाद संख्या 81/2015 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट का विचाराधीन होने के तथ्य का उल्लेख करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह मनमाना एवं क्षेत्राधिकार से परे आदेश होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2017 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1220 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि मे खातेदार दीनूखां का 1/2 हिस्सा था तथा उक्त खातेदार दीनूखां के फोत होने पर उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 1220 उसके पुत्र सदीक खां पुत्र दीनूखां के नाम वर्ष 1988 मे

स्वीकृत हुआ तथा तब से उक्त भूमि पर सदीक खां ही काबिज था तथा उक्त सदीक खां का भी देहांत हो जाने पर उक्त खातेदारी की भूमि उसकी पत्नी बिस्मिल्ला एवं पुत्री सहीदा के नाम दर्ज हुई तथा मौके पर उनका ही कब्जा काश्त रहा । बाद मे बिस्मिल्ला एवं सहीदा ने उक्त भूमि का बेचान दिनांक 20–7–2015 को ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सेलो की ढाणी पीपाडशहर जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 12 है, को कर दिया तब से वह उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रहा है ।

वकील रेस्पो0गण ने कथन किया कि अपीलार्थियां ने अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानते हुए वर्ष 1988 मे स्वीकृत हुए फोतेदगी म्युटेशन संख्या 1220 के विरूद्ध वर्ष 2015 मे दिनांक 24–7–2015 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो विचाराधीन है तथा उक्त वाद के पेश करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त म्युटेशन संख्या 1220 के विरूद्ध प्रथम अपील भी दिनांक 29–9–2015 को पेश की, जिसमे रेस्पो0 संख्या 12 क्रेता को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलाधीन भूमि का बेचान अपील एवं दावा पेश होने से पूर्व ही दिनांक 20–7–2015 को किया जा चुका था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे रेस्पो0 संख्या 12 ने प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बने ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि जब अपीलार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर दिया था, जो विचाराधीन था जिसके द्वारा ही अपीलार्थियां के हक अधिकारो का निर्धारण होगा ऐसे मे अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात यथा अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत दावा की छायाप्रति, रेस्पो0 संख्या 12 ओमप्रकाश के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा का दस्तावेज,अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2017 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1220 आदि का अवलोकन किया ।

अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 1220 जो दिनांक 21–12–88 को स्वीकृत हुआ था, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 27 वर्ष के विलंब से वर्ष 2015 मे दिनांक 29–9–2015 को म्युटेशन अपील पेश की जिसमे स्वयं को स्व0 खातेदार दीनूखां की पुत्री होने से अपीलाधीन भूमि मे हक अधिकार होना मानते हुए पेश की थी जबकि अपीलार्थियां ने उक्त अपील पेश करने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष अपीलाधीन भूमि मे अपने अधिकारो की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषधाज्ञा का एक वाद दिनांक 24–7–2015 को प्रस्तुत कर दिया था, जिसके वाद संख्या 81/2015 पडे जो विचाराधीन है तथा उस वाद के निर्णय से ही अपीलार्थियां के हक अधिकारो का निर्धारण होना है, म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक–अधिकारो का विनिश्चय संभव

नही है परंतु अपीलार्थियां ने उसी विवादित भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन संख्या 1220 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश कर दी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन भूमि का रजिस्टर्ड बेचान भी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 12 ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सेलो की ढाणी, पीपाडशहर को अधीनस्थ न्यायालय मे दावा एवं अपील पेश करने से पूर्व ही दिनांक 20–7–2015 को किया जा चुका था, ऐसे मे बेचान के साथ ही अपीलाधीन भूमि मे क्रेता के अधिकार सृजित हो चुके है इसलिए पक्षकारो के मध्य विचाराधीन दावे के निर्णय से ही पक्षकारो के हक–अधिकारो का निर्धारण होगा, यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे दिया है जो विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–4–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 5–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर